न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 06/2019
GCMS NO. : 2019/0054

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मदनलाल पुत्र लालाराम 2. लच्छाराम पुत्र लालारा जाति– ढोली, निवासी– टिबड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. कैलाशचन्द्र पुत्र सत्यानारायण 2. किरण पुत्री सत्यनारायण जाति– ढोली, निवासी– पिपलियां 3. सुनिल पुत्र कैलाश 4. नौरत पुत्र कैलाश 5. बुधराज पुत्र कैलाश 6. मुकेश पुत्र कैलाश 7. दिनेश पुत्र कैलाश 8. मन्जू पुत्री कैलाश 9. कंचन पुत्री कैलाश 10. संजू पुत्री कैलाश 11. तारा पुत्री कैलाश जातियान– ढोली, निवासीगण– निम्बोल, तहसील– जैतारण। 12. दुगादिवी पुत्री लालाराम जाति– ढोली, निवासी– बोरून्दा तहसील– बिलाड़ा, जिला– जोधपुर 13. मिटिया पुत्री गंगाधर निवासी– खिवाड़ा, तहसील– देसूरी जिला पाली। 14. समिया पुत्री गंगाधर निवासी– निम्बेड़ा कलां तहसील– रायपुर जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 03/01/2020**

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्राथीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 30/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टिबडी पटवार हल्का फालका में प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 8 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 102 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल 13 बीघा 11 [illegible] ग्राम पीपाड़ा में प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 316 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 365 रकबा 13 बीघा [illegible]3 बिस्वा कुल 21 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है मुतनाजा जमीन पर प्रार्थीगण कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो प्रार्थीगण के भाणेज जो ग्राम पीपलीया में रहते है तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 से 11 प्रार्थीगण के भाई के लड़के है जो प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का भाई कैलाश अपने ससुराल निम्बोल में गोद चला गया पिछले कई वर्षो से निम्बोल में ही रहते थे कैलाश के पुत्र अप्रार्थी संख्या तीन से ग्यारह का जन्म निम्बोल में ही हुआ तथा निम्बोल में ही अपने नाना की जमीन पर काबिज है, कभी भी ग्राम टीबडी में नहीं आऐ और न मुतनाजा जमीन पर कभी कब्जा काश्त रहा अप्रार्थी संख्या 12 प्रार्थीगण की बहन है जो अपने ससुराल बोरून्दा में रहती है, अप्रार्थी संख्या 13 व 14 प्रार्थीगण के भाणेज है जो खिंडावा निम्बेडा कलां में रहते है। उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर गलत इन्द्राज से चला आ रहा है मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त नहीं है सभी अप्रार्थीगण आउट अ०फ पजेशन हैं। अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने अदालत बाला में एक राजस्व वाद संख्या 59/17 का वास्ते बंटवाड़ा का कर रखा है जबकि अप्रार्थीगण का कीम भी मुतनाजा जमीन पर कब्जा नहीं रहा केवल मात्र अप्रार्थीगण का नाम बतौर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने से नाजायज फायदा उठाने की नियत से दावा की रूह से जमीन हड़पना चाहते है जो गलत हैं। मुतनाजा जमीन में अप्रार्थीगण का नाम गलत इन्द्राज होने से उक्त जमीन पर अप्रार्थीगण अपना हिस्सा बताकर मुतनाजा जमीन का बैचान बख्शीश रहन करने पर आमादा है जबकि अप्रार्थीगण को उक्त जमीन बेचने रहन रखने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और अप्रार्थीगण कभी भी ग्राम टीबडी में नहीं रहे जमीन की किमते बढने से अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है लोगो के सिखावे में आकर बंटवाड़ा का दावा कर रखा है और अब मुतनाजा जमीन को बेचने व उक्त जमीन पर बैंक से ऋण लेना चाहते है जो इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, पर प्रार्थीगण के अलावा किसी का कब्जा व काश्त किया हुआ नही है, केवल मात्र राजरन रेकर्ड में गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा जताने पर उतारु है प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकीया देते हैं। मुतनाजा जमीन पर प्रार्थीगण का कब्जा कायल होने से प्रथम दृष्टया केस मजबूत है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त जमीन का बैचान बख्शीश, रहन आरिद किसी अजनबी व्यक्ति को कर देगे तो प्रार्थीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगे तथा प्रार्थीगण को असीम नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में अप्रार्थीगण अदा नहीं कर सकेगे इसलिए अप्रार्थीगण को वैचान बख्शीश रहन आदि करने से रोका जाना जरूरी है। अतः दरख्वास्त मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की जमीन ग्राम टीबडी के खसरा नम्बर 8 व 102 पीपाडा में खसरा नम्बर– 316, 321, 365 पर अप्रार्थीगण को वैचान बख्शीश रहन आदि करने एवं कब्जा करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा के [illegible]

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] संख्या 13 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद [illegible] अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। [illegible] 12 एवं 14 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सामिल मिसल हैं [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 एवं 14 की ओर से द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी सरहद मौजा टिबड़ी में स्थित खसरा नम्बर 08 व 102 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा 02 कुल रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा व इसी प्रकार ग्राम पीपाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 316, 321 व 365 कुल खसरा 03 कुल रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा के सायलान व गैरसायलान सभी रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। पूर्व में उक्त भूमि लालू जी खातेदारी व कब्जेकाश्त की थी उसके देहान्त उपरान्त जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के लालूराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान क्रमशः मदनलाल, कैलाशचन्द, लच्छूराम, भंवरी देवी, दुर्गादेवी, व पिस्ता देवी एवं उनके विधिक वारिसान के नाम से भरा गया था। इस प्रकार से उक्त भूमि सायलान व गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर सभी पक्षकारान का माफिक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस मूल वादपत्र व अस्थाई 02 अच्यभारअहकाम तामिल निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी भूमि सायलान व गैरसायलान की पैतृक व पुश्तैनी है, जिस पर सभी खातेदारो का बाई बर्थ हक हिस्सा एवं अधिकार है तथा सायलान ने अपने आप को इस भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार होना झूठा अंकित किया है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक हिस्से व इंच पर प्रत्येक खातेदार का संयुक्त कब्जा व हक अधिकार है। सायलान ने इस पद में गैरसायलान के बाबत इस वादपत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से आउट अॅाफ पजेशन होने वाबत झूठे कथन अंकित किये है जो अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस मूल वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी भूमि सायलान व गैरसायलान की पैतृक व पुश्तैनी है, जिस पर सभी खातेदारो का बाई बर्थ हक हिस्सा एवं अधिकार है। साथ ही इस भूमि के बाबत वाद संख्या 59/2017 बाबत बंटवाड़ा का पेश किया जो सही है, साथ ही इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान के नाम गलत दर्ज होने व भूमि हड़प लेने के आरोप गैरसायलान पर झूठे लगाये गये है साथ ही सायलान ने अपने आप को इस भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार होना झूठा अंकित किया है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक हिस्से व इंच पर प्रत्येक खातेदार का संयुक्त कब्जा व हक अधिकार है। सायलान ने इस पद में गैरसायलान के बाबत इस वादपत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से आउट अॅाफ पजेशन होने बाबत झूठे कथन अंकित किये है, जो अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस मूल वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी भूमि [illegible] पैतृक व पुश्तैनी है, जिस पर सभी खातेदारो का बाई बर्थ हक हिस्सा [illegible] शामिल एवं अधिकार है तथा सायलान ने अपने आप को इस भूमि का काबिज [illegible] काश्तकार होना झूठा जोकित किया है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक [illegible] पर प्रत्येक खातेदार का संयुक्त कब्जा व हक अधिकार है। सायलान ने इस [illegible]र्थना पत्र मे गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो जाने बाबत झूठे कथन अंकित किये है। गैरस्ताबलान इस भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिन्हे अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी जायज जरूरत हेतु अन्य हस्तान्तरण करने का पूरा हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अधिकार प्राप्त है। सायलान ने गैरसायलान पर नियत खराब होने के बाबत झूठे आरोप लगाये है। बल्कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर गैरसायलान को भी माफिक हिस्से अनुसार पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। सायलान ने इस पद में गैरसायलान के बाबत इस वादपत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से आउट ऑफ पजेशन होने बाबत झूठे कथन अंकित किये हैं जो अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने अस्वीकार है। यह है कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन रू 05 कतई असत्य झूठे व बेनियाद है। गैरसायलान के हक हिस्से की आराजी मौके पर अलग से बंटी हुई है व सायलान की जमीन अलग से है । सामलाती कब्जा काप्त व हक अधिकार होने के कथन मिथ्या है। गैरसायलान स्वयं मौके पर इस भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिये सायलान गैरसायलान के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सायलान ने असत्य व निराधार वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकरण में यदि किसी प्रकार का स्थगन दिया जाता है, तो अपूर्णीय क्षति सायलान की बजाय गैरसायलान को होगी। इसलिये प्रथम दृष्टिया मामला भी गैरसायलान के पक्ष में ही है। विविध मुकदमें बाजी होने का कथन मिथ्या है। उपरोक्त तथ्यो के अलावा पूरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं निर्णयन करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा टिबडी पटवार हल्का फालका में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 8 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 102 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल 13 बीघा 11 बिस्वा जमीन आई हुई है व ग्राम पीपाड़ा में प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 316 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 365 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कुल 21 बीघा 13 बिस्वा के भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम गलत रूप से दर्ज होने तथा कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी सायलान व गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त भूमि है। जिस पर सभी पक्षकारान् का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] विरूद्ध एवं झूठा है जिसे खारिज किया जावें।

जमाबन्दी ग्राम टिबड़ी पटवार हल्का फालका [illegible] 2071-2074 एवं ग्राम पीपाड़ा की सम्वत् 2074 से 2077 तथा ग्राम टिबड़ी [illegible] नामान्तरण पंजिका प्रविष्टि 165 के अनुसार ग्राम टिबड़ी निवासी लालू पुत्र किशना कौम ढोली के फोत होने पर वारिसान के रूप में पुत्रगण मदनलाल, लछाराम, कैलाश तथा पुत्रीयां पिस्ता, दुगादिवी, भंवरी देवी के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया, जो वादग्रस्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया या विश्वास करनें का कारण हो की वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम गलत प्रविष्टि के रूप में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– चूंकि पूर्व विवचेन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है तथा ऐसी दशा में अपनें हक–हिस्से तक प्रत्येक सहखातेदार को उसके उपयोग एवं उपयोग करनें, उसे विकसित करनें तथा उसकी संरक्षा करनें का समान अधिकार निहित होता है तथा सहखातेदार के हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके हक में निहित होता है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित नहीं हुए है। प्रार्थीगण यह साबित करनें में असफल रहें है कि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है, तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी, जबकि अप्रार्थीगण भी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:53 IST
Reason: SelfAttested